भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.4790

21 **अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए**

'सभी के लिए आवास' योजना की स्थिति

4790. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेरः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष **2015** में वर्ष **2022** तक 'सभी के लिए आवास' की घोषणा की थी और बाद में इस तिथि को बढ़ाकर **2024** कर दिया गया और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश के सभी शहरी गरीबों के लिए आवास का अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस योजना में क्या कमियों हैं; और

(ग) क्या सरकार के पास समाज के गरीब वर्गों को घर उपलब्ध कराने की कोई भविष्य की योजना है क्योंकि **2024** की समय-सीमा पहले ही बीत चुकी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा अपने नागरिकों के लिए आवास संबंधी योजनाएँ कार्यान्वित की जाती हैं। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय दिनांक 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर में सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ सभी मौसमों में रहने योग्य पक्के आवास उपलब्ध कराना है। स्वीकृत आवासों के निर्माण हेतु वित्त पोषण पद्धति और कार्यान्वयन पद्धति में बिना कोई बदलाव किए, इस योजना की अवधि दिनांक 31.12.2025 तक बढ़ा दी गई है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और अगले पाँच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को

सहायता प्रदान करने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन हेतु दिनांक 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी),साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 मांग आधारित योजनाएँ हैं। इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, लाभार्थियों का चयन, परियोजनाओं का निरूपण और क्रियान्वयन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किया जाता है। मांग आकलन और सत्यापन के बाद, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र परियोजना प्रस्ताव तैयार करते हैं और राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) के अनुमोदन के बाद, इन्हें केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा स्वीकार्य केंद्रीय सहायता की स्वीकृति के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, मंत्रालय द्वारा अब तक पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत 7.15 लाख आवासों सहित कुल 119.31 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 112.98 लाख आवासों में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और दिनांक 04.08.2025 तक देश भर में 93.81 लाख आवास बनकर तैयार हो चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

*****